कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

ई –मेल : deanshivpuri@gmail.com

वेबसाइट http://shivpurimedicalcollege.com

क्रमांक. 125 /स्था.राज/2022

शिवपुरी, दिनांक 04/01/2022

//विज्ञप्ति सूचना//

श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी में शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 4–60/2017/55–2, भोपाल दिनांक 06.05.2017/12.05.2017 के द्वारा नवीन चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी के लिये पद सृजित किये गये है। म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक एफ 2–53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018" प्रतिस्थापित किया गया है, नवीन सीधी भर्ती/पदोन्नती के प्रावधान किये गये है जिनके तहत सीधी भर्ती/पदोन्नती की जाना है।

म.प्र. लोक सेवा अधिनियम 1994 (कं 21 सन् 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गो के लिये आरक्षण) नियम 1998 में संशोधन दिनांक 19.08.2019 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन सीधी भर्ती द्वारा राज्य स्तरीय रोस्टर का पालन करते हुये प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। ऐसे आवेदक जो कि शासन/एन.एम.सी (एम.सी.आई) द्वारा निहित आहर्तायें पूर्ण करते हो इस हेतु आवेदन कर सकते है।

उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट http://shivpurimedicalcollege.com एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेगा। आवेदन दिनांक **07.01.2022** एवं अंतिम दिनांक **22.01.2022** को समय – शाम 05:00 बजे तक किये जा सकेंगें। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से **अधिष्ठाता कार्यालय, श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी** की आवक–जावक शाखा में जमा कराये जा सकते है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय...... तथा आवेदित पद का नाम....... और आरक्षित/अनारक्षित...... श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया
चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी(म.प्र.)

//विज्ञप्ति//

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2–53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अन्तर्गत शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी के अधीन निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :

प्राध्यापक/सह प्राध्यापक /सहायक प्राध्यापक के पद हेतु **सीधी भर्ती** विज्ञापन रोस्टर

क्र.	विषय	सह प्राध्यापक					सहायक प्राध्यापक				
		UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS
1	फार्माकोलॉजी						1				
2	मेडिसिन	1					1				
3	स्किन.बी.डी.एण्ड लेप्रोसी						1				
4	मनोरोग						1				
5	एनेस्थिसिया								1	1	
6	रेडियोडायग्नोसिस						1				
7	टी.बी.चेस्ट						1				
8	फिजिकल मेडिसिन रिहेब्लीटेशन						1				

प्राध्यापक/सह प्राध्यापक /सहायक प्राध्यापक के पद हेतु **पदोन्नती/सीधी भर्ती** विज्ञापन रोस्टर

क्र.	विषय	पदोन्नती/सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद निम्न पदों की भर्ती हेतु सीधी की प्रक्रिया अपनायी जावेगी।														
		प्राध्यापक					सह प्राध्यापक					सहायक प्राध्यापक				
		UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS
1	एनॉटामी											1				
2	फिजियोलॉजी											1				
3	बायोकेमेस्ट्री											1				
4	माइक्रोबायोलॉजी						1					1				
5	फोरेन्सिक मेडिसिन	1														
6	मेडिसिन	1					2									
7	ऑफ्थन्मोंलॉजी	1					1									
8	ओर्थोपेडिक											1				
9	पीडियाट्रिक्स	1					1									
10	स्किन.बी.डी.एण्ड लेप्रोसी						1									
11	स्त्री एवं प्रसूति रोग	1														
12	एनेस्थिसिया	1					2									
13	रेडियोडायग्नोसिस	1					1									
14	टी.बी.चेस्ट						1									
15	फिजिकल मेडिसिन रिहेब्लीटेशन	1														

नोट : पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।

Scanned with CamScanner

सामान्य शर्तें :–

1. म.प्र. का मूल निवारी उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। एक उम्मीदवार एक पद के अलावा अन्य पदों पर भी आवेदन कर सकता है। यदि उम्मीदवार पद के लिये निर्धारित आहर्ता रखता है जिसके लिये उसे अलग से निर्धारित आवेदन शुल्क देना होगा।
3. ऐसे अभ्यार्थी जो शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत है एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम आहर्ता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदण्डों को पूर्ण करते हो। उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) तो आरक्षण का लाभ लेना चाहते है उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगी।
5. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ्य होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
6. अधिष्ठाता शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी द्वारा किसी भी समय, किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण रूप भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
7. शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी किसी भी समय किसी भी स्तर पर विज्ञप्ति को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
8. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. ग्वालियर खण्डपीठ में मान्य होगा। चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
9. ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगें।
10. वैवाहिक स्थिति – एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगें। अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।
11. किसी भी पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लेवें।
12. भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी पर विचार नहीं किया जायेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया
चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

1. **वेतनमान (सातवें वेतनमान अनुसार) – नियमित नियुक्ति हेतु**

प्राध्यापक	–	37,400–67000+10000 तत्स्थानी पे–मैट्रिक्स 14 (सातवें वेतनमान)
सह प्राध्यापक	–	37,400–67000+9000 तत्स्थानी पे–मैट्रिक्स 13A (सातवें वेतनमान)
सहायक प्राध्यापक	–	15,600–39,100+7000 तत्स्थानी पे–मैट्रिक्स 11 (सातवें वेतनमान)

टीप – समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होगे।

2. **आयु सीमा**

		न्यूनतम	**अधिकतम**
प्राध्यापक	–	35 वर्ष	62 वर्ष
सह प्राध्यापक	–	30 वर्ष	62 वर्ष
सहायक प्राध्यापक	–	25 वर्ष	50 वर्ष

टीप – आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

3. पदो पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा ।
   - उपरोक्त चिन्हित पदों में SC= अनुसूचित जाति ST= अनुसूचित जनजाति OBC= अन्यपिछड़ा वर्ग EWS= आर्थिक रूप से कमजोर F= महिला पद हेतु आरक्षित है।
   - **जाति प्रमाण पत्र** : **आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।**

4. **अहर्तायें** :–
   - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अहर्ता।
   - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के नियमानुसार एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी विभाग में 15% एवं माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेकोलॉजी विभाग में 0% **एम.एस.सी, पी.एच.डी योग्यताधारी** चिकित्सा शिक्षक ही पात्र होगें।
   - **प्राध्यापक** – संबधित विषय में और इन विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यता एमडी/एम.एस./डीएनबी (i) अनुमति प्राप्त/अनुमोदित/मान्यताप्राप्त किसी मेडिकल कॉलेज/संस्थान में 3 वर्ष के लिये 3 अनुसंधान प्रकाशनों (कम से कम दो एसोसियेट प्रोफेसर के रूप में) (केवल मूल कागजात, मेटा–विश्लेषण, व्यस्थित समीक्षा और केस अनुक्रम जो हैं मेडलाईन, पबमेडसेंट्रल, प्रशस्ति सूचकांक, विज्ञान उद्धरण सूचकांक, विस्वारित एम्बेस, स्कोपस, ओपनएक्सेस पत्रिकाओं की निर्देशिका (DoAJ) में प्रकाशित पत्रिकाओं में विचार किया जायेगा) के साथ, उस विषय में एसोसिएट प्रोफेसर। लेखन को पहले तीन में से एक होना चाहिये या तद्नुरूपी लेखन होना चाहिए। (ii) चिकित्सा शिक्षा प्रोद्यौगिकी में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्दिष संस्थानों से मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा कराना चाहिये। (iii) बॉयोमेडिकल रिसर्च में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों में मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिये।

     इसके अलावा बशर्ते कि 2 साल की परागमन अवधि के लिये अधिसूचना की दिनांक से प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" अधिसूचना के अनुसार संस्था द्वारा की जा सकती है जैसा की इस अधिसूचना के जारी होने से पहले था।
   - **सह प्राध्यापक** – संबंधित विषय में और इन विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यताएं एमडी/एमएस/डीएनबी (i) अनुमति प्राप्त/अनुमोदित/मान्यताप्राप्त किसी मेडिकल कॉलेज/संस्थान में 4 वर्ष के लिये 1 अनुसंधान प्रकाशन (केवल मूल कागजात, मेटा–विश्लेषण, व्यस्थित समीक्षा और केस अनुकम जो है मेडलाइन, पबमेडसेंट्रल, प्रशस्ति सूचकांक, विज्ञान उद्धरण सूचकांक, विस्वारित एम्बेस, स्कोपस, ओपनएक्सेस पत्रिकाओं की निर्देशिका (DoAJ) में प्रकाशित पत्रिकाओं में विचार किया जायेगा) के साथ, उस विषय में सहायक प्राध्यापक। लेखन को पहले तीन में से एक होना चाहिए। (ii) प्रकाशन लेखनकारिता के बदले में अनुसंधान परियोजना को केवल तभी माना जा सकता है जब व्यक्ति किसी राष्ट्रीय अनुसंधान निकाय जैसे कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) विज्ञान और

Scanned with CamScanner

प्रोद्योगिकी विभाग (डीएसटी) जैव–प्रोद्योगिकी विभाग (डीबीटी) या ऐसे किसी निकाय द्वारा वित्तपोषित एक अनुसंधान परियोजना का प्रधान सह–प्रधान अन्वेषक (PI/VoPI) हो। (iii) चिकित्सा शिक्षा प्रोद्योगिकी में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्दिष संस्थानों से मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा कराना चाहिए।

इसके अलावा बशर्ते कि 2 साल की परागमन अवधि के लिये, अधिसूचना की दिनांक से, सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुवित/पदोन्नति "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यतायें विनियमावली 1998" अधिसूचना के अनुसार संस्था द्वारा की जा सकती है जैसा कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले था।

- **सहायक प्राध्यापक** – संबंधित विषय में और इन विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यता एमडी./एमएस/डीएनबी किसी मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में कनिष्ठ रेजीडेंट के रूप में 3 वर्ष और किसी मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेसीडेंट के रूप में एक वर्ष। अनुसूची–1 के खंड 4क के अनुसार, एम.डी./एम.एस. के समतुल्य माने गये डी.एन.बी. अभ्यार्थी के मामले में रेजीडेंट/प्रदर्शक/ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष के अध्यापन अनुभव के अलावा किसी मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष।

  भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिक्रमण में शासी बोर्ड अधिसूचना नई दिल्ली, 07 जून 2019 के अनुसार "वरिष्ठ रेसीडेंट" के शैक्षणिक योग्यताओं यह कि ऐसी विधाओं में, जहां होने वाली "50/100/150/200/250 दाखलें प्रतिवर्ष मेडिकल कॉलेज हेतु न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली" में वरिष्ठ रेसीडेंट का पद विनिर्धारित नहीं किया गया है, संबंधित विधा में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् ट्यूटर/प्रदर्शक/रेसीडेंट रजिस्टार के रूप में एक वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।

  अति विशेषज्ञतायें (डी.एम./एम.सी.एच./डी.एन.बी) इन विनियमों के अनुसार और संबंधित विषय में अनुसूची–1 के खण्ड 4(क) के अनुसार डी.एम./एम.सी.एच./डी.एन.बी में अति विशेषज्ञता स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यता।

5. <u>निरहर्तायें–</u>

5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।

5.2 दुश्चरित्र होने पर।

5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।

5.5 विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 21 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नही होंगे।

5.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जावेगी साथ ही ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी संस्थित की जावेगी, जिसके लिये व्यक्ति स्वयं जवाबदेह रहेगा।

5.7 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

Scanned with CamScanner

5.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो तो वह व्यक्ति नियुक्ति के लिये अपात्र रहेगा तथ्य को छिपाते हुये नियुक्ति प्राप्त करता है तो संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी एवं नियुक्ति स्वंय निरस्त कर दी जावेगी।

5.9 स्वास्थ्य संबंधी –चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (मेडिकल बोर्ड) कम का न हो।

- सहायक प्राध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः **एक वर्ष की अवधि** के लिये परीवीक्षा पर अनुबंध पर की जावेगी। यदि चयनित अभ्यर्थी द्वारा स्वशासी महाविद्यालय में एक वर्ष की अवधि के लिये सीनियर रेसीडेन्ट डॉक्टर के पद पर संतोषजनक कार्य किया हो तो उसे सीधे नियमित सेवा में नियुक्ति दी जा सकेगी।
- म.प्र. के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिये स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा ऐसे उम्मीदवारों को चयन प्रकिया में प्राथमिकता दी जावेगी।
- चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्त्तव्यों का तथा समय–समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
- ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।
- आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष , जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होगी। आवेदक को इस बाबत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे **एक वर्ष के वेतन/मानदेय** के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।
- चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

6. चयन प्रकिया :–

विज्ञापित पदों हेतु अभ्यार्थियों के चयन के संबंध में अवगत किया जाता है कि अभ्यार्थियों द्वारा किये गये आवेदन तथा निर्धारित वेटेज के आधार पर कुल 100 अंको में से 80 अंको की प्रवीणीय सूची बनाई जायेगी जो की उनके द्वारा प्राप्त अंको के वेटेज अनुसार पदों को श्रेणी वार तैयार की जावेगी। उक्त अनुसार योग्य पाये जाने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार पूर्व दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जावेगा एवं 20 अंको का साक्षात्कार हेतु प्रवेश दिया जावेगा।

- साक्षात्कार हेतु अभ्यार्थियों की संख्या एक पद पर 1:5 के अनुपात में अभ्यार्थी बुलाये जावेंगें।
- प्रवीण्य सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते है तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जावेगा अर्थात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के उपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी, जिन्होने आवेदन किये हुये पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अहर्ता में अधिक अंक प्राप्त

Scanned with CamScanner

किये है। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनो स्थितियों एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा 12 वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यार्थी को वरीयता दी जावेगी।

- दस्तावेज सत्यापन में त्रुटी पाये जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
- भर्ती प्रकिया पूर्ण होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी पर विचार नहीं किया जावेगा।

8. आवेदन संबधित समय तालिका :–

कमांक	गतिविधी	तारीख
1	आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	**07.01.2022**
2	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	**22.01.2022**

उपरोक्त तिथियां शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है यदि अभ्यार्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

9. आवेदन शुल्क :–

समस्त प्रवर्गो के आवेदक आवेदन शुल्क अनारक्षित/अन्य पिछडा वर्ग हेतु राशि रू. 2000/– (दो हजार रूपये मात्र) एवं आरक्षित वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रिमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) एवं निश्क्तजन उम्मीदवार हेतु राशि रू. 1500/– (पंद्रह सौ रूपये मात्र) होगा।

10. आवेदन कैसे करें :–

चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी के स्वशासी मद **A/C – 37825099328, IFSC Code – SBIN0030086** में आवेदन शुल्क जमा कराया जाना है एवं उक्त ट्रांजेक्शन की छायाप्रति अथवा **Dean, Government Medical College, Near Kattha mill, Shivpuri Madhya Pradesh-473551** के नाम से डिमांड ड्राफ्ट (केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से **अधिष्ठाता कार्यालय, श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी** की आवक–जावक शाखा में जमा कराये जा सकते है। जो किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जावेगा। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय..... तथा आवेदित पद का नाम....... और आरक्षित/अनारक्षित...... श्रेणी** का उल्लेख आनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

महत्वपूर्ण टीपः–

उपरोक्त तिथियां शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की वेबसाईट http://shivpurimedicalcollege.com का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान देवें। इस संबंध में शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की कोई जबावदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय–समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो इसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। परन्तु इसके पश्चात् भी यदि अभ्यार्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यार्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया
चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

आवेदन का प्रारूप

.....................................के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र (अंतिम तिथि ..../......./2022)

स्वप्रमाणित फोटो

नोटः सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

1. आवेदक का नाम ....
2. पुरूष/महिला..
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित)..
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित)...

   ....

   शहर का नाम................................ फोन नं...

   मोबाइल नं..................................ईमेलआईडी..
5. स्थाई पता...

   ....

   शहर का नाम................................ फोन नं...

   मोबाइल नं...
6. आधार कार्ड नम्बर ....
7. जन्मतिथि (**हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें**)................................
8. दिनांक /   /2022 को आवेदक की आयु ....दिन .... माह .... वर्ष
9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति– विवाहित/अविवाहित
10. विवाह का दिनांक– ....
11. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / विकलांग .... (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
12. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनाँक ....

    अ. (एम.वी.वी.एस.)–

    व. एमडी/एमएस–

    स. एमसीएच/डीएम–
13. शैक्षणिक योग्यताऐं:–(**प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें**)

Scanned with CamScanner

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	
1	MBBS First Prof.						
2	MBBS Second Prof.						
3	MBBS Final Part I						
4	MBBS Final Part II						
5	MD/MS/MCH/DM						
6	S.R.						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक–पृथक भरे)

नोटः प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

14. शैक्षणिक अनुभव :–

क्रमांक	पदनाम	शैक्षणिक अनुभव
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्यूटर/प्रदर्शक	

15. रिसर्च पब्लिकेशन :–

क्रमांक	पदनाम	रिसर्च पब्लिकेशन
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्यूटर/प्रदर्शक	

16. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची ----------------------------------

स्थान................................

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनाँक.............................

Scanned with CamScanner

//घोषणा-पत्र//

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध मे किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय मे विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

चैक लिस्ट

1. आवेदन फॉर्म
2. फोटो
3. आवेदन शुल्क जमा करने की रसीद की छायाप्रति अथवा डी.डी.
4. MBBS/BDS First Prof. छायाप्रति संलग्न करें।
5. MBBS/BDS Second Prof. छायाप्रति संलग्न करें।
6. MBBS/BDS Final Part I छायाप्रति संलग्न करें।
7. MBBS/BDS Final Part II छायाप्रति संलग्न करें।
8. MBBS/MD/MS/MDS/MCH/DM/DNB छायाप्रति संलग्न करें।
9. Internship Completion Certificate छायाप्रति संलग्न करें।
10. Attempt Certificate (MBBS/MD/MS/MDS/MCH/DM/DNB) छायाप्रति संलग्न करें।
11. SR छायाप्रति संलग्न करें।
12. प्राध्यापक अनुभव की छायाप्रति संलग्न करें।
13. सह प्राध्यापक अनुभव की छायाप्रति संलग्न करें।
14. सहायक प्राध्यापक अनुभव की छायाप्रति संलग्न करें।
15. ट्यूटर/प्रर्दशक अनुभव की छायाप्रति संलग्न करें।
16. प्राध्यापक रिसर्च पब्लिकेशन, इंडेक्स जनरल की छायाप्रति संलग्न करें।
17. सह प्राध्यापक रिसर्च पब्लिकेशन, इंडेक्स जनरल की छायाप्रति संलग्न करें।
18. सहायक प्राध्यापक रिसर्च पब्लिकेशन, इंडेक्स जनरल की छायाप्रति संलग्न करें।
19. ट्यूटर/प्रदर्शक रिसर्च पब्लिकेशन, इंडेक्स जनरल की छायाप्रति संलग्न करें।
20. आधार कार्ड प्रति संलग्न करें।
21. हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची छायाप्रति संलग्न करें।
22. जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
23. मेडिकल काउंसिल/डेंटल काउंसिल का पंजीयन (MBBS/MD/MS/MDS/MCH/DM/DNB) की छायाप्रति संलग्न करें।
24. मध्यप्रदेश मूलनिवासी प्रमाण पत्र।
25. अनापत्ति प्रमाण पत्र (शासकीय/स्वशासकीय/प्राईवेट) की छायाप्रति संलग्न करें।

हस्ताक्षर ....

दिनांक ..../............./............

Scanned with CamScanner